उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

संख्या सा–4–6/वस–96

लखनऊ, दिनांक 5 जनवरी, 1996

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :–सरकारी कर्मचारियों को वायुयान यात्रा की अनुमन्यता ।

प्रदेश में इण्डियन एयर लाइन्स के अतिरिक्त अन्य निजी विमान सेवाओं के चालू होने के उपरान्त शासन को यह प्रश्न संबंधित हुआ है कि क्या इण्डियन एयर लाइन्स के अतिरिक्त यू0 पी0 एयर तथा अन्य प्राइवेट एयर लाइन से भी सरकारी यात्रायें की जा सकती हैं । इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि जो सरकारी सेवक वायुयान से यात्रा करने हेतु अधिकृत हैं, वे इण्डियन एयर लाइन्स के अतिरिक्त यू0 पी0 एयर एवं अन्य प्राइवेट एयर लाइन्स से भी सरकारी यात्राएं इस प्रतिबन्ध के अधीन कर सकते हैं कि उन्हें निजी एयर लाइन्स से की गयी यात्राओं हेतु इण्डियन एयर लाइन्स के किराये से अधिक धनराशि अनुमन्य नहीं होगी ।

पी0 के0 मिश्र,
सचिव, वित्त (वे0 आ0)।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या सा–4–6 (1)/वस–96, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उ0 प्र0, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद ।
2–महालेखाकार, उ0 प्र0, आडिट, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद ।
3–सचिवालय के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव ।
4–सचिव विधान परिषद्/सभा, विधान भवन, लखनऊ ।
5–निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ ।
6–सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव ।

बो0 एस0 यू0 पी0–ए0 पी0 181 सा0 वित्त–(4929)–1996–15,000 (मैक0)।